

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD**

PC-VI No. 38
RBE No. 158

No.E(P&A)I-2008/CPC/LE-8

New Delhi, dt. 23-10-2008

**The General Managers/CAOs
All Indian Railways and Production Units.**

Sub: Recommendations of the Sixth Central Pay Commission relating to enhancement of quantum of Maternity Leave and introduction of Child Care Leave in respect of Railway Servants.

Consequent upon the decisions taken by the Govt. on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission relating to Maternity Leave and Child Care Leave, the President is pleased to decide that the existing provisions of the Liberalized Leave Rules, 1949 may be treated as modified as follows :-

- (a) The existing ceiling of 135 days Maternity Leave provided in Rule 551(1) shall be enhanced to 180 days.
- (b) Leave of the kind due and admissible (including commuted leave for a period not exceeding 60 days and leave not due) that can be granted in continuation with Maternity Leave provided in Rule 551(3)(b) shall be increased from one year to two years. The period of Extra Ordinary Leave without Medical Certificate, if any, shall not be treated as qualifying service for the purpose of pension, annual increment etc..
- (c) Women employees having minor children may be granted Child Care Leave by an authority competent to grant leave, for a maximum period of two years (i.e. 730 days) during their entire service for taking care of upto two children whether for rearing or to look after any of their needs like examination, sickness etc. Child Care Leave shall not be admissible if the child is eighteen years of age or older. During the period of such leave, the women employees shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave. It may be availed of in more than one spell. Child Care Leave shall not be debited against the leave account. Child Care Leave may also be allowed for the third year as leave not due (without production of medical certificate). It may be combined with leave of the kind due and admissible.
- (d) The Child Care Leave shall be admissible for two eldest surviving children only.

Contd.....2/-

- (e) The leave account for child care leave shall be maintained in the proforma enclosed, and it shall be kept alongwith the Service Book of the Government servant concerned.
2. These orders shall take effect from 1st September, 2008.
3. In view of paragraph 2 above, a women employee in whose case the period of 135 days of maternity leave has not expired on the said date shall also be entitled to the maternity leave of 180 days
4. Correction Slip to Liberalised Leave Rules, 1949 contained in Indian Railway Establishment Code, Vol.I, 1985 Edition is being issued separately.
5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.



(Chander Parkash)
Joint Director Estt.(P&A),
Railway Board

No. E(P&A)I-2008/CPC/LE-8

New Delhi dated 23 .10.2008

Copy to:

1. The Principal Director of Audit, All Indian Railways.
2. The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224 Rail Bhawan, New Delhi(with 40 spares).


for Financial Commissioner/Railways.

No. E(P&A)I-2008/CPC/LE-8

New Delhi dated 23 .10.2008

Copy to the FA &CAOs, All Indian Railways & Production Units etc.


(Chander Parkash)
Joint Director Estt.(P&A),
Railway Board

No. E(P&A)I-2008/CPC/LE-8

New Delhi dated 23 .10.2008

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, NFIR(with 35 spares).
2. The General Secretary, AIRF(with 35 spares).

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

पी.सी. -VI सं. 38
आरबीई सं.158

सं.ई (पीएंडए) I-2008/सीपीसी/एलई-8

नई दिल्ली, दिनांक 23.10.2008

महाप्रबन्धक / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां.

विषय : रेल कर्मचारियों के मामले में प्रसूति (मैटरनिटी) छुट्टी की अवधि बढ़ाने और बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी (चाइल्ड केयर लीव) लागू करने के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें.

प्रसूति (मैटरनिटी) छुट्टी और बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी (चाइल्ड केयर लीव) के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति ने उदारीकृत छुट्टी नियम, 1949 के मौजूदा उपबंधों में निम्नानुसार आशोधन करने का विनिश्चय किया है :

- (क) नियम 551(1) में उपबंधित 135 दिन की प्रसूति (मैटरनिटी) छुट्टी की मौजूदा अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 180 दिन किया जाएगा.
- (ख) देय और ग्राह्य किस्म की छुट्टी (जिसमें 60 दिन तक की परिवर्तित (कम्प्यूटेड) छुट्टी और अदेय छुट्टी शामिल है), जिसे नियम 551(3) (ख) के उपबंधों के अनुसार प्रसूति छुट्टी के क्रम में प्रदान किया जा सकता है, की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की जाएगी. बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र के इस असाधारण छुट्टी की अवधि, यदि कोई हो, को पेंशन, वार्षिक वेतनवृद्धि आदि के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा नहीं माना जाएगा.
- (ग) छुट्टी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन महिला कर्मचारियों को, जिनके बच्चे नाबालिग हों, उनकी समूची सेवा के दौरान अपने दो बच्चों की देखभाल के लिए, चाहे वह उन्हें पालने के लिए हो अथवा उनकी किसी जरूरत जैसे कि परीक्षा, बीमारी आदि के दौरान देखभाल के लिए हो, अधिकतम दो वर्ष (अर्थात् 730 दिन) की छुट्टी प्रदान की जा सकती है. यदि बच्चा 18 वर्ष अथवा उससे ज्यादा आयु का हो तो बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी ग्राह्य नहीं होगी. इस प्रकार की छुट्टी की अवधि के दौरान महिला कर्मचारियों को छुट्टी पर जाने से तत्काल पहले मिलने वाले वेतन के बराबर छुट्टी-वेतन प्रदान किया जाएगा. यह छुट्टी एक से अधिक चरणों में ली जा सकती है. "बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी" को छुट्टी खाते से डेबिट नहीं किया जाएगा. 'बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी', अदेय छुट्टी के रूप में तीसरे वर्ष के लिए भी प्रदान की जा सकती है (बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए). इसे देय और ग्राह्य किस्म की छुट्टी के साथ जोड़कर भी लिया जा सकता है.
- (घ) बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी केवल दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के मामले में ही ग्राह्य होगी.

- (ड) बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी का रिकॉर्ड संलग्न प्रोफॉर्मा में रखा जाएगा और इसे संबंधित कर्मचारी की सेवा पंजिका के साथ रखा जाएगा.
2. ये आदेश 1 सितंबर, 2008 से प्रभावी होंगे.
 3. उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार, वे महिला कर्मचारी, जिनकी उपर्युक्त तारीख तक 135 दिन की प्रसूति छुट्टी समाप्त नहीं हुई है, भी 180 दिन की प्रसूति छुट्टी की पात्र होंगी.
 4. भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द I, 1985 संस्करण में उल्लिखित उदारीकृत छुट्टी नियम, 1949 के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची को अलग से जारी किया जा रहा है.
 5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

(चन्द्र प्रकाश)
संयुक्त निदेशक, स्था. (पी.एंड ए)
रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए) I-2008/सी पी सी/एल ई-8

नई दिल्ली, दि.23.10.2008

प्रतिलिपि :

1. प्रधान निदेशक लेखा-परीक्षा, सभी भारतीय रेलें.
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित).

डॉ. शलीम अहमद
कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई (पी एंड ए) I-2008/सी पी सी/एल ई-8

नई दिल्ली, दि.23.10.2008

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयों आदि को प्रेषित.

(चन्द्र प्रकाश)
संयुक्त निदेशक, स्था. (पी.एंड ए)
रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए) I-2008/सी पी सी/एल ई-8

नई दिल्ली, दि.23.10.2008

